संख्या-140/2015/91/26-3-2015-10(10)/2015

प्रेषक

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में

निदेशक
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ दिनांकः 20 नवम्बर 2015

विषयः. चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान सं0-83 के अंतर्गत राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयए तीरगांव जनपद.बाराबंकी के भवन के मरम्मत कार्यो हेतु धनराशि स्वीकृति के संबंध में।

महोदयए

उपर्युक्त विषयक निदेशालय समाज कल्याण के पत्र संख्या-1122-23/स0क0 विकास/ए0टी0एस0-133/2014-15 दिनांक 01-01-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयए तीरगांव जनपद.बाराबंकी में पूर्व निर्मित विद्यालय कक्षा-1 से 5 भवन के मरम्मत कार्य हेतु धनराशि रू0-48.54 (रू0-अड़तालिस लाख चौवन हजार मात्र) तथा उच्चीकृत किये गये उक्त विद्यालय (कक्षा-6 से 12) के भवनों आवश्यक मरम्मत कार्य हेतु धनराशि रू0-145.42 लाख (रू0-एक करोड़ पैतालिस लाख बयालिस हजार मात्र) अर्थात कुल रू0-193.96 लाख (रू0-एक करोड़ तिरान्नवे लाख छियान्नवे हजार मात्र) की धनराशि श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंरू.

1 प्रश्नगत कार्य हेतु उक्त स्वीकृत धनराशि निर्माण इकाई के साथ एम0ओ0यू0 अनुबन्ध कराने के उपरान्त ही आहरित कर प्रबंध निदेशकए यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी।

2 उक्त स्वीकृत धनराशि का व्ययध्उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगाए जिसके लिए स्वीकृत की जा रही हैए इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगीए जिसका उत्तरदायित्व निदेशकए समाज कल्याण का होगा। स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार एवं शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

3 उक्त प्रायोजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों का निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूर्ण करा लिया जाये। उक्त धनराशि का आहरण वास्तविक उपयोगितानुसार किया जायेगा। निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति का विवरण यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0 अथवा बैंकध्डाकघर खाता में नहीं रखी जायेगी।

4 उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजनाध्कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत हैं और न वर्तमान में किसी अन्य योजनाध्कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

5 उक्त प्रायोजना की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये। उक्त कार्य की गुणवत्ता एवं मात्राओं के संबंध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी/जिलाधिकारीउत्तरदायी होगें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6 उपर्युक्त स्वीकृतियों से सम्बन्धित धनराशियां व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च 2015 में निहित निर्देशो प्रतिबन्धों का अनुपलन सुनिश्चित किया जायेगा।

2 उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वितीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-83के लेखाशीर्षक."2225-अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01.अनुसूचित जातियों का कल्याण.आयोजनागत-789.अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-09-राजकीय छात्रावासों राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का अनुरक्षण-29.अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या. 2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च 2015 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनु सचिव

संख्या.140/2015/91(1)/26-3-2015 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः.

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथमए उ0प्र0 इलाहाबाद
3. जिलाधिकारी बाराबंकी।
4. बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ/ समाज कल्याण विभागए उ0प्र0 शासन।
5. कोषाधिकारी, जवाहर भवन/लेक्ट्रेट, कैसरबाग लखनऊ/बाराबंकी।
6. वित्त (व्यय.नियंत्रण) अनुभा-3
7. अधिशासी अभियंता, यू0पी0 सिडको जनपद-बाराबंकी।
8. निदेशक एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
9. जिला समाज कल्याण अधिकारी, बाराबंकी ।
10. गार्डफाइल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनु सचिव

http://shasanadesh.upnic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।